

मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी - अप्रैल, 1956 सत्र

कैनिकड विधायक सभा

गुरुवार, दिनांक 23 फरवरी, 1956 (पश्चात् 4, 1917)

समय 10.30 बजे जिले

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. नियम 138 (1) के अन्तर्गत ध्यानार्थित

(1) सर्वश्री गोपीकृष्ण नेमा, लक्ष्मीनारायण शर्मा, लक्ष्मण सिंह गौड़, सदस्य, इंदौर में मालवा उत्सव के दौरान अव्यवस्था फैलने की ओर आकर्षित एवं उसीम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

उत्तर
गुरुमाध्यम

(2) श्री सुरेन्द्र सिंह सिसोदिया, सदस्य, उज्जैन जिले के अनेक ग्रामों में नीलगायों से फसलों को हो रही क्षति की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(3) श्री ईश्वरदास रोहाणी, सदस्य, जबलपुर में अर्ड कुंभ मेले की व्यवस्थाओं में शासन का सहयोग न मिलने की ओर स्थानीय शासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(4) श्रीमती करुणा शुक्ला, सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, बल्कन नायक, सदस्य, रायपुर रेलवे स्टेशन पर आर.पी.एस.एफ. के जवानों द्वारा की गई मारपीट से कई लोगों के घायल होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(5) सर्वश्री गोविन्द मिश्रा, ईश्वरदास रोहाणी, सदस्य, सीधी जिले के जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत छत रहे कार्यों का श्रमिकों को भुगतान न होने की ओर उप मुख्यमंत्री (जल संसाधन) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(6) श्री नोबेल कुमार वर्मा, सदस्य, बिलासपुर जिले की मंडियों द्वारा क्रय किये गये धान का कृषकों को भुगतान न होने व धान भीगने से उत्पन्न स्थिति की ओर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(7) सर्वश्री रघुनन्दन शर्मा, भूपेन्द्र सिंह, कंकर मुजारे, सदस्य, उज्जैन स्थित बाल सम्प्रेषण गृह से बच्चों के फरार होने की ओर समाज कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(8) सर्वश्री प्रभात कुमार पाण्डेय, ईश्वरदास रोहाणी, सदस्य, जबलपुर वन मंडल के बरगी वन परिक्षेत्र में सागान की अवैध कटाई होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(9) डॉ. गोविन्द सिंह, सर्वश्री बाबूलाल गौर, कंकर मुजारे, सदस्य, विद्यशाल जिले के वन क्षेत्रों में अवैध उत्खनन होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(10) श्री मोती कश्यप, सदस्य, जबलपुर कुष्ठि उपज मंडी में धान क्रय में अनियमितता होने की ओर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(11) डॉ. ढाल सिंह बिसेन, श्री गौरीशंकर बिसेन, सदस्य, प्रदेश के छिवाड़ा एवं बालाघाट जिले में मत्तेश्वरा से अनेक लोगों की मौत होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(12) सर्वश्री गौरीशंकर बिसेन, लक्ष्मीनारायण शर्मा, मुनीराम साहू, सदस्य, प्रदेश के अनेक स्थानों पर हथियार पाये जाने से नागरिकों में दहशत फैलने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(13) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, गौरीशंकर बिसेन, दिलीप भट्टेरे, सदस्य, बालाघाट जिले में नक्सलवादियों द्वारा ट्रक जलाये जाने की अनेक घटनायें होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(14) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, अरुण वोरा, सदस्य, रायपुर जिले के अनेक ग्रामों में अजात बीमारी से अनेक व्यक्तियों की मृत्यु होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(15) सर्वश्री बनवारीलाल अग्रवाल, ईश्वरदास रोहाणी, सदस्य, रायपुर जेल में एक कैदी की हत्या होने की ओर जेल मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

THE HINDU - 2 -

३. प्रतिवेदन की प्रस्तुति पर्व स्थीकरण

श्री शंकर प्रताप सिंह, सभापति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का अठारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :—

"सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा सेकल्स्पों संबंधी समिति के अठारहवें प्रतिवेदन से सहमत है".

4. अशासकीय विधि विवरण कर्त्ता

श्री शैलेन्द्र प्रधान, सदस्य, मध्यप्रदेश लोक आयुक एवं उपलोक आयुक (संशोधन) विधेयक, 1996 (क्रमांक 2 सन् 1996) के पुरस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरस्थापित करेंगे।

निर्धारित
समय

5. अशासकीय संकलन

(1) श्री सोबरन सिंह मावई, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

६० सि.

“इस सदन का यह मत है कि प्रदेश में शासकीय सेवाओं में सामान्य वर्ग व पिछड़ा वर्ग की नियुक्ति पर लगे प्रतिबंध को हटा कर नियुक्तियों प्रारंभ की जावे”.

30 番

"इस सदन का यह मत है कि कुछ उपज मंडियों में टेक्स वसूली की राशि में से मंडी बोर्ड का अंश 50 प्रतिशत से कम कर दस प्रतिशत किया जाए और 40 प्रतिशत बचत को मंडी की सड़कों के निर्माण एवं रख-रखाव पर लगाय किया जाए।"

२० मि.

"इस सदन का यह मत है कि प्रदेश में 60 वर्ष से अधिक आय बाले

40 मि.

"इस सदन का यह मत है कि प्रदेश में भूमि स्वामी हक रखने वालों को इमारती लकड़ी पंचायतों को बिक्री करने की घट दी जावे तथा पंचायत मुख्यालय पर बिक्री केन्द्र स्थापित करने की अनमति दी जाएँ।"

६. नियम ५२ के अधीन आजे बन्टे की जर्दी

(1) दिनांक 19 फरवरी, 1996 को विकित्सा शिक्षा मंत्री से पूछे गये तारीखित प्रश्न संख्या 12 (क्रमांक 2749) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री शीलेन्द्र प्रधान, सदस्य, आर्चर उठायेंगे।

(2) दिनांक 15 फरवरी, 1996 को लोक स्वास्थ्य धारिकी मंत्री से पूछे गये तारीखिश प्रश्न संख्या 5 (क्रमांक 1147) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री सुरेन्द्र वर्मा, सदस्य, वर्षा उत्तरगो

अशोक चतुर्वेदी

सांख्य,
मध्यप्रदेश विधान सभा